**UPBJ010066892026**

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधि0), कोर्ट नं0–6, बिजनौर।**

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2719/2026**

**शशि प्रकाश तिवारी बनाम सरकार**

**दिनांक–04.08.2026**

**1.** यह प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत अभियुक्त **शशि प्रकाश तिवारी** की ओर से मु0अ0सं0 **322/2025,** अन्तर्गत धारा–**318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बी0एन0एस0** थाना **नूरपुर,** जिला **बिजनौर** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जो कि शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

**2.** जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा केस डायरी एवं संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया।

**3.** संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि निवेदन इस प्रकार है कि मेरा नाम सरिता देवी पत्नी श्री आनन्द कुमार निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर की स्थायी निवासी हूँ। मेरे बेटे विकल्प सिसौदिया के दोस्त शशि प्रकाश तिवारी पुत्र श्री शिवानन्द तिवारी निवासी यमुना विहार कालोनी रामा डिग्री कालेज अशरफ विहार गोमती नगर लखनऊ का निवासी है। मेरे बेटे को रेलवे में नौकरी में टी0सी0 के पद पर लगवाने के लिए 900000/–रू0 (नौ लाख रू0) 5,9760/– रू0 (पांच लाख सत्तानवे हजार छः सौ रू0) बैंक खाते में डाले थे जिनका सबूत उपलब्ध है। 302400/–रू0 (तीन लाख दो हजार चार सौ रू0) चार टुकडो में दिये थे साथ में मेरे बेटे के ओरिजनल डाक्यूमेन्ट भी उसी के पास है। जब हमें ज्ञात हुआ कि शशि प्रकाश तिवारी फर्जी तरीके से नौकरी के नाम पर ठगी कर रहा है। हमने उससे अपने पैसे और डाक्यूमेन्ट मांगे तो टाल मटोल करने लगा। अब उसने हमारा फोन भी उठाना बंद कर दिया। बीच में एक व्यक्ति राज मिश्रा से भी है वो उसी के साथ रहता है वह भी पैसे देने के लिए मना कर रहा है। मेरी बात शशि की पत्नी विभा मिश्रा से भी हुई थी। वह भी पैसे देने के लिए मना करती है जिस गाडी से वो हमारे घर आया था वो गाड़ी उसकी पत्नी के नाम पर है जिसका नं0– UP32MR7326 है उसकी पत्नी ये बोलती है कि जिसे पैसे दिये है उससे ले लो। शशि या राज से बात होती तो कहते है कि पैसों को भूल जाओ और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देते है। मैं अकेली महिला ही घर को चलाती हूँ। मैं मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि मेरे बेटे के साथ हुई ठगी के आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

**4.** उक्त तथ्यों के आधार पर थाना **नूरपुर,** जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या **322/2025,** अन्तर्गत धारा– **351(3), 316(2) बी0एन0एस0** का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**5.** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठा व रंजिशन फसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घ ाटना के दिनांक या समय का कोई वर्णन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये सभी



Digitally signed by ALKA CHAUDHARY
Date: 2026.08.04 16:39:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आरोप असत्य मौखिक तथ्यो पर आधारित है। प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के बेटे की नौकरी रेलवे में टी0सी0 के पद पर लगवाने के लिए कोई धनराशि नही ली है और न ही उसके आरिजनल कागजात लिए है न ही खाते में डाली गयी धनराशि का कोई विस्तृत विवरण या तिथि एफ0आई0आर0 में नहीं दिया गया है। प्रार्थी ने किसी दस्तावेज या इलैक्टोनिक अभिलेख की कूटरचना नही की है प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई धोखाधडी वादिनी मुकदमा के साथ नही की है। प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के बेटे को जान से मारने की धमकी नही दी है। प्रार्थी पर वादनी मुकदमा द्वारा लगाया गये आरोप कि प्रार्थी फर्जी तरीके से नौकरी के नाम पर ठगी करता है निराधार तथा असत्य है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नही है। कथित सभी अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी दिनांक 26.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

**6.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

**7.** केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में एफ0आई0आर0 के कथनों का पूर्णतया समर्थन किया है। वादनी मुकदमा के पुत्र **विकल्प सिसौदिया** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि "मैने सन् 2023 में कोठीवाल इंजीनियरिंग कालेज मुरादाबाद में बीटेक की पढाई कर रहा था तो उसी कालेज में शशि प्रकाश तिवारी पुत्र श्री शिवानन्द तिवारी निवासी यमुना विहार कालोनी रामा डिग्री कालेज अशरफ विहार गोमती नगर लखनऊ भी अपनी पढाई कर रहा था मेरी शशि प्रकाश तिवारी से दोस्ती हो गयी थी और शशी प्रकाश तिवारी का मेरे घर पर आना जाना हो गया था। शशि प्रकाश ने मुझे बताया था कि मेरा बडा भाई राज मिश्रा रेलवे में बडा अधिकारी है अभी रेलवे में टीसी पद की सरकारी नौकरी की बैंकसी निकली मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा जिसमें लगभग 9 लाख रुपये का खर्चा आयेगा। तो मैने भी सोचा कि सरकारी नौकरी मिल जायेगी मैने लालच में आकर अपने घर वालो से भी शशी प्रकाश तिवारी की बात करवा दी तो शशी प्रकाश तिवारी ने नौकरी लगवाने की सौ प्रतिशत गारंटी ले ली और मेरे से धीरे धीरे करके पैसे खाते के माध्यम से दिनांक 30.05.2023 को 36,600 रुपये, दिनांक 02.06.2023 को 10,000 रुपये, दिनांक 06.06.2023 को 10,000 रुपये दिनांक 07.06.2023 को 10,000 रुपये, दिनांक 09.06.2023 को 50,000 रुपये, दिनांक 09.06.2023 को 50,000 रुपये, 10.06.2023 को 30,000 रुपये, 12.06.2023 को 50,000 रुपये, 12.06.2023 को 50,000 रुपये, 12.06.2023 को 1,00,000 रुपये, 12.06.2023 को 25,000 रुपये, 12.06.2023 को 50,000 रुपये 12.06.2023 को 10,000 रुपये, 12.06.2023 को 19,000 रुपये, 12.06.2023 को 10,000 रुपये 15.06.2023 को 30,000 रुपये, 17.06.2023 फो 30,000 रुपये 18.06.2023 को 20,000 रुपये, 23.06.2023 को 30,000 रुपये 23.06.2023 को 10,000 रुपये, 09.07.2023 को 8,000 रुपये 09.07.2023 को 2,000 रुपये, 11.07.2023 को 5,000 रुपये, 12.07.2023 को 10,000 रुपये, 22.07.2023 को 20,000 रूपये, कुल खाते के माध्यम से 5,97,600 रुपये तथा 3,02,400 रुपये नगद रुप में थोडे–थोड़े करके घर से लेकर गया है। कुल मिलाकर 9,00,000 (9लाख) रुपये शशी प्रकाश को दिये है। पूरे पैसे पहुंचने के बाद एक माह के भीतर नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया था तथा मुझे दिल्ल रेलवे कार्यालय लेकर गया तथा मुझे ऑफिस के बाहर खडा छोड दिया और खुद शशी प्रकाश तिवारी अन्दर गया और थोडी देर बाद अन्दर से बाहर आया और बोला बात हो गयी उसके बाद कुछ दिनो के बाद मेरे घर पर आकर मुझे शशी प्रकाश तिवारी ने एक नियुक्ति पत्र लाकर दिया कि

आपकी नौकरी का नियुक्ती पत्र आ गया है और आपकी नौकरी लग गयी। उस नियुक्ती पत्र की मैने मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) के यहाँ पर जानकारी की तो कार्यालय से बताया कि हमारे यहाँ से आपके नाम से कोई नियुक्ती पत्र जारी नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैने शशी प्रकाश तिवारी से बात किया तो टाल मटोल करने लग गया तो मैने अपने पैसे वापस करने को कहा तो पैसे देने को भी मना कर दिया इसलिये मेरी मम्मी सरिता देवी के द्वारा मुकदमा लिखवा दिया है। जो नियुक्ति पत्र मुझे शशि प्रकाश तिवारी द्वारा मुझे दिया है उसे मैं आपको दे रहा हूं।"

**8.** सबंधित विवेचक द्वारा State Bank of India RAJA KA TAJPUR Branch Code 5961 CIF NO.87728593349 Account No. 2026039189 IFSC Code. SBIN0005961 MICR Code] 245002655 VIKALP SISODIYA S/O ANAND KUMAR MOH NAI BASTI VILL POST RAJA KA TAJPUR THE CHANDPUR DISTT BIJNOR UP PIN CODE 246735 के **बैंक स्टेटमेन्ट** को **सी0डी0–3** में संलग्न किया गया है। जिसकी शशी प्रकाश तिवारी के खाते में ट्रान्जेक्सन डिटेल निम्न है– दिनांक 30.05.23 को 36,600, दिनांक 02.06.2023 को 10,000, दिनांक 10.06.2023 को 30,000, दिनांक 12.06.2023 को 1,00,000, दिनांक 23.06.2023 को 30,000, दिनांक 23.06.2023 को 10,000, अंकित है। तथा सबंधित विवेचक द्वारा **नियुक्ति पत्र**– ''पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) रेलवे कालोनी पहाडगंज नयी दिल्ली No.CEN03/2019/DEL/15678298/Group C/NR/IR/1920 dated 13-06-2023 Name Vikalp Sisodiya Fathers Name Anand Kumar Address: 797, Taj Palace Road, Near of water tank, Raja ka tajpur Bijnor Uttar Pradesh 266735 विषय–रेलवे भर्ती बोर्ड से प्राप्त टिकट कलेक्टर की नामिका पे बैड 930034800 ग्रेड पे 1900/(ले02) के अभ्यर्थियो का प्रशिक्षण/नियुक्ति तथा पदस्थापना के संबंध में। संदर्भ महाप्रबंधक (कार्मिक) चन्दौसी का पत्र संख्या का में कुल 12 बिन्दु दर्शाये गये है जिसमें दिशा निर्देश दिये गये है। आपके द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों तथा चरित्र का सत्यापन का सत्यापन संबधी प्रधानाचार्य/अधिकारी से कराया जायेगा तथा सही पाये जाने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा आपेक्षित ही प्रादेशिक सेवा का रेलवे इकाई का आठ वर्ष की अवधि के लिये प्रादेशिक सैन्य सेवा में और सात वर्ष के लिये प्रादेशिक सेना रिजर्व सेवाओं में उस अवधि के लिये जो समय समय पर इस सम्बन्ध में निर्धारित की जा सकती है। सैनिक सेवा के लिये भागी होगा। ..... कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0) दिल्ली हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय मैं ऊपर बताये गये शर्तों पर प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ की नियुक्ती के प्रस्ताव में अनुबंध शर्तों के प्रति निष्ठा रखूँगा। अभ्यार्थी का हस्ताक्षर .....।'' को **सी0डी0–5** में संलग्न किया गया है।

**9.** प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर फर्जी व कूटरचित साधनों का प्रयोग करके इलैक्ट्रानिक माध्यमों से अनुचित लाभ अर्जित करने की नियत से धोखाधड़ीपूर्वक वादनी मुकदमा के बेटे की रेलवे में टी0सी0 के पद पर नौकरी लगवाने को कहकर 9 लाख रूपये हड़पने तथा कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार करने और उसे असली के रूप में प्रयोग किये जाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय है। अतः गुणदोष के आधार पर कोई मत व्यक्त किए बिना आरोप की प्रकृति व वर्णित दण्डादेश को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

**आदेश**

**10.** अभियुक्त **शशि प्रकाश तिवारी** की ओर से उपर्युक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

**04.08.2026**

**(अलका चौधरी)**
(J.O. Code-UP1788)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(गैंगस्टर अधि0), कोर्ट नं0–6, बिजनौर।